

# मध्यप्रदेश विधान सभा

करवारी—मार्च, 2000 सत्र

## विभिन्न विधायी सूची

सोमवार, दिनांक 7 करवारी, 2000 (मार्च 18, 1921)

समय 10.30 बजे बिन

### 1. प्रबन्धन

पथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :—

- (1) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 (क्रमांक 2 सन् 1999), तथा
- (2) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अध्यादेश, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2000).

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास और पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा कायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे।

4. अक्टूबर-विसम्बर, 1999 सत्र विरागित अवधि से पूर्ण स्थगित होने के कालस्वरूप शेष विनाकों के प्रस्तोतारों का संकलन तथा इसी सत्र के आपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना।

5. नियम 267-के अधीन अक्टूबर-नवम्बर, 1999 सत्र में सबन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना।

### 6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना।

### 7. नियम 138 (1) के अधीन व्यान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, प्रवेश में कृषकों को सोयाबीन का धान का उचित मूल्य एवं विक्रीत सोयाबीन का भुगतान न होने की ओर सहकारित मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री अनुप मिश्र, सदस्य, निमाङ खेत्र में क्षेत्र संघों द्वारा ईकाइयों में आर्थिक संकट उत्पन्न होने की ओर वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 8. प्रतिवेदन की प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का वास्तव

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भौग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सम्यावधि में आगामी सत्र के अन्तिम विवास तक की वृद्धि की जावे।"

### 9. सभापति तालिका की घोषणा।

### 10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सभापति, विशेषाधिकार समिति का प्रधाम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

### 11. शासकीय विधि विषयक विवर

(1) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि विभागिता के प्रधान प्रस्तुति पर विधेयक, 1999 (क्रमांक 40 सन् 1999) के पुरास्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरास्थापित करेंगे।

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश आवकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2000) के पुरास्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरास्थापित करेंगे।

12. राज्यपाल के अभिभावण पर श्री वर्षभीरुद सिंह, सदस्य, आया विनायक उ फरवरी, 2000 की प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

"राज्यपाल ने जो अभिभावण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यागण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"